

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति कोटिला - गवाड़ गैटर मार्ग का सुरक्षित तकमिलान।

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 3.850 हे.

17 पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति अनिश्चित, वन पैनामत सेव सिविल जन प्रीमि।

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्थिति का ब्यौरा चूड़, खंडक, मेरुल, मीमल आदि वृक्ष।

(i) वन का प्रकार डेन्स फॉरेस्ट

(ii) वनस्थिति का औसत पूर्ण घनत्व 5

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अर्पणित वृक्षों की परिगणना संलग्न है

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोई नहीं।

19 मूहकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थापकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण अक्षरण की संज्ञावना नहीं

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी प्रत्यक्ष

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता निम्न नहीं

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा महत्वपूर्ण वन्य जीव सिंघमान नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव आवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपायबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव घाईन की और टीका टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव घाईन की टीका-टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव घाईन की टीका-टिप्पणियों उपायबद्ध की जाए) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतर की प्रजातिया हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्विक या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपायबद्ध किए जाने के लिए संलग्न प्राधिकारों से अनुरोधित प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23 पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधयुक्तता के बारे में टीका टिप्पणिया दें आवप्रक क्षेत्र पर विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अनिवार्य द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अनिवार्य रूप से अनिवार्य वन प्रीमि है

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सफाई किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ

24 किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हा. की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अवर्धित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (पों) का नाम पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (पों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण यथार्थ के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति सिविल सेव स्केम वन प्रीमि,

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कन्वर्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें सिविल सेव स्केम वन प्रीमि

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है,

(iv) रीपिट की जाने वाली प्रजातियों काव्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत, सुरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौर सलग्न है (हा/प्र/२०१५)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपखर्च संलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचानने किए गए क्षेत्र की युवितयुवतता के बारे में संश्लेषण संश्लेषण सलग्न है (हा/प्र/२०१५)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हा/प्र/२०१५)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की किनिदिष्ट सिफारिशें

स्थान अल्मोड़ा

तारीख

8-4-2015

स्वीकृति संस्तुति की जाती है,

हस्ताक्षर अल्मोड़ा शासकीय सहायक
प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा